तारीख हुक्म	
6/1/20	नगरी/सरीयत अधिकारी द्वारा प्रकाशन के मद्दे समक्षेत्र प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रकाशन की कार्यवाही की गई पर पत्रावली एवं अभिलेख से प्रतीत होता है कि भूमि 20 बीघा नगर निवेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1344, 1343, 1341, 1358 तथा 1359 नगर सीमा के अन्दर है। अतिक्रमीत के विरुद्ध कार्यवाही किया जाया रिपोर्ट और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः प्रकाशन की आज्ञा दे। प्रकाशन के मद्दे अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाने हेतु प्रकाशन के मद्दे अधिनियम के धारा 3 के पालन की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश प्रकाशन किया जाया। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्दे नगर सीमा एवं प्रकाशन के मद्दे अधिनियम की धारा 3 व 4 की कार्यवाही की जाने के पश्चात की धारा 2, 4 व 5 की कार्यवाही पत्रावली पर अवलोकन किया जिसमें अधिकारी की मौजूदगी में प्रकाशन की कार्यवाही किया जाया। नगर के मद्दे

Justified by me
6/1/20
कार्यालय

नगर
रामेश्वर
दयाराम

अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner